ए.

कानूनी प्रतिनिधियों और ओ. आर. एस. के माध्यम से किरपा रैम (डी. सी. ई. ए. एस. डी.)

बनाम

सुरेंद्र देव गौर और ओआरएस।

(2010 की सिविल अपील सं. 8971)

बी.

नवंबर 16,2020

[एल**.** नागेश्वर राव**,** हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:धारा 9-दीवानी अदालत की अधिकारिता, जब वर्जित नहीं है-प्रत्यर्थियों द्वारा दायर मुकदमा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा किया गया है कि गाँव बसई दारापुर, दिल्ली की राजस्व संपदा में स्थित मुक़दमा भूमि उनके स्वामित्व में थी और उनके पास थी-अपीलार्थी की याचिका थी कि दीवानी अदालत की अधिकारिता वर्जित है क्योंकि यह गाँव बसई दारापुर और गाँव शकरपुर के बीच एक सीमा विवाद है और ऐसे विवाद का निर्णय धारा 9 के संदर्भ में किया जाना है।28 दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1954-आयोजितःसीमा विवाद दो राजस्व संपदाओं के बीच हैं और इसमें पक्षों की भूमि का सीमांकन शामिल नहीं है -भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 83 सिविल न्यायालय की अधिकारिता को निम्नलिखित के संबंध में वर्जित करती हैः(क) पटवारियों के क्षेत्र की व्यवस्था; (ख) एस. एस. में उल्लिखित किसी भी कार्यालय पर किसी भी व्यक्ति का दावा।13 या 14 या ऐसे पद से संबंधित किसी परिलब्धि या शुल्क के संबंध में, या उससे उसके अपवर्जन के कारण हुई किसी क्षति के संबंध में, या किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्यालयों में व्यक्तियों को नामित करने के दावों के संबंध में; (ग) अधिकारों का अभिलेख बनाना या उसमें निहित किसी भी दस्तावेज को तैयार करना, हस्ताक्षर करना या सत्यापित करना, या वार्षिक रजिस्टर तैयार करना-वर्तमान मामले में विचार के लिए ऐसा कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ-संपत्ति के कब्जे के आधार पर निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा सरल था-उक्त मुकदमे का फैसला केवल दीवानी अदालत द्वारा किया जा सकता था क्योंकि कब्जे से संबंधित विवादों के संबंध में निषेधाज्ञा देने के लिए भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कोई तंत्र निर्धारित नहीं था-दीवानी अदालत के पास सभी विवादों पर विचार करने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र है, सिवाय उन मामलों के जहां9 संहिता-दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 -एस. 28.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1030 ए.

1031

कानूनी प्रतिनिधित्व बनाम सुरेंद्र देव गौर ए के माध्यम से किरपा रैम (डिसीज्ड)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:s.100-कानून के सारगर्भित प्रश्न का निर्माण या परंतुक के संदर्भ में उसका सुधार केवल तभी उत्पन्न होता है जब कानून के कुछ प्रश्न होते हैं और कानून के किसी सारगर्भित प्रश्न के अभाव में नहीं-उच्च न्यायालय कानून के सारगर्भित प्रश्न को तैयार करने के लिए बाध्य नहीं है, यदि वह प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाता है।

बी.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:Or.XLI r.27 – अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति-आयोजितःअतिरिक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि वे आवेदक द्वारा उठाई गई याचिका के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा**,**

सी.

अभिनिर्धारित किया कि **1.** संहिता के आदेश एक्सएलआई नियम **27** के तहत आवेदन ग्राम बसई दारापुर के संबंध में राजस्व दस्तावेजों के संबंध में था।मान लीजिए**,** अपीलकर्ताओं का गाँव बसई दारापुर की भूमि के किसी भी हिस्से पर कोई दावा नहीं है।अपीलार्थी सभ शकरपुर गामक खसरा सं**. 79** सँ सम्बन्धित अपन अधिकारक दावा कऽ रहल छथि।अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त साक्ष्य में इस तरह के राजस्व रिकॉर्ड की मांग की है क्योंकि यह उनकी जानकारी में नहीं था और गांव बसई दारापुर के खसरा संख्या **238** के क्षेत्र की शुद्धता के बारे में भी कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था।वादी ने गाँव बसई दारापुर के खसरा नं**. 238** पर अपना अधिकार और अधिकार का दावा किया है**,** जबकि प्रतिवादी नं**. 4** ने दावा किया है कि विवादित भूमि पर गाँव शकरपुर**,** दिल्ली में स्थित खसरा नं**. 79** है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंक

संख्या **3,4** और **5** खसरा संख्या **238** के स्वामित्व और कब्जे से संबंधित थे और क्या विवादित भूमि गाँव शकरपुर के खसरा संख्या **79** का हिस्सा थी।इसलिए**,** यह पूरा तर्क कि खसरा संख्या **238** के क्षेत्र की शुद्धता के संबंध में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था**,** असमर्थनीय है।पक्षों ने बसई दारापुर में पड़ने वाले खसरा संख्या **238** या गाँव शकरपुर के खसरा संख्या **79** के क्षेत्र के बारे में मामला समझ लिया है।एक बार जब पक्षकार उक्त विवाद को समझ जाते हैं और निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर लेते हैं**,** तो अपीलार्थी को पहली अपील में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस प्रकार**,** अतिरिक्त दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वे अपीलार्थी द्वारा उठाई गई याचिका के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।**[**पैरा **17] [1038-**ई**-**जी**; 1039-**ए**-**बी**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

2. भूमि राजस्व अधिनियम सीमा विवादों के संबंध में दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से बाधित नहीं करता है।सीमा विवाद दो राजस्व संपदाओं के बीच हैं और इसमें पक्षों की भूमि का सीमांकन शामिल नहीं है।भूमि राजस्व अधिनियम की धारा **83** सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निम्नलिखित के संबंध में प्रतिबंधित करती है:**(**क**)** पटवारियों के क्षेत्र की व्यवस्था**; (**ख**)** धारा **13** या **14** में उल्लिखित कार्यालयों में से किसी के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए दावे या ऐसे कार्यालय से संबंधित किसी परिलब्धि या शुल्क के लिए**,** या उससे उसके अपवर्जन के कारण हुई किसी क्षति के संबंध में**,** या किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्यालयों में व्यक्तियों को नामित करने के लिए किए गए दावों के संबंध में**; (**ग**)** अधिकारों का अभिलेख बनाना या उसमें निहित किसी भी दस्तावेज को तैयार करना**,** हस्ताक्षर करना या सत्यापित करना**,** या वार्षिक रजिस्टर तैयार करना।वर्तमान मामले में विचार के लिए ऐसा कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है।इसके अलावा**,** मुकदमा संपत्ति के कब्जे के आधार पर निषेधाज्ञा के लिए सरल है।उक्त वाद का निर्णय केवल दीवानी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है क्योंकि भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कब्जे से संबंधित विवादों के संबंध में निषेधाज्ञा देने के लिए कोई तंत्र निर्धारित नहीं है।सिविल न्यायालय के पास उन मामलों को छोड़कर सभी विवादों पर विचार करने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र है जहां सिविल न्यायालय की अधिकार क्षेत्र संहिता की धारा **9** के संदर्भ में या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है।चूंकि संहिता की धारा **9** के संदर्भ में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई निहित या स्पष्ट बाधा नहीं है**,** इसलिए

सिविल न्यायालय के पास पक्षों के बीच सभी विवादों का फैसला करने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र है।**[**पारस **18,19,20] [1039-**सी**-**जी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

3. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार नहीं करने में कोई अवैधता नहीं की।संहिता की धारा **100** की उप-धारा **(1)** में विचार किया गया है कि उच्च न्यायालय में एक अपील होगी यदि यह संतुष्ट है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को अपील के ज्ञापन में सटीक रूप से बताया जाना आवश्यक है।यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि कानून का ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है**,** तो उस प्रश्न को तैयार करना आवश्यक है।इस तरह से तैयार किए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई होनी चाहिए।तथापि**,** न्यायालय के पास संहिता की धारा **100** के परंतुक में निर्धारित शर्तों की संतुष्टि पर कानून के किसी भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील सुनने की शक्ति है।इसलिए**,** यदि ए द्वारा बनाए गए कानून का सारवान प्रश्न

एफ.

जी.

एच.

1033

कानूनी प्रतिनिधित्व बनाम सुरेंद्र देव गौर ए के माध्यम से किरपा रैम (डिसीज्ड)

अपीलार्थी मामले में उत्पन्न होते पाए जाते हैं**,** तभी उच्च न्यायालय को विचार के लिए इसे तैयार करने की आवश्यकता होती है।यदि ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है**,** तो उच्च न्यायालय के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना आवश्यक नहीं है।उच्च न्यायालय कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने के लिए बाध्य नहीं है**,** यदि उसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।**[**पारस **21,23] [1040-**एफ**; 1041-**ई**-**एच**]**

बी.

मो. एल. आर. बनाम जगदीश कलीता द्वारा मोहम्मद अली (मृत) और

ओआरएस., (2004) 1 एससीसी 271:[2003] 4 पूरक।एससीआर 325;

हुबली-धारवाड़ नगर निगम और अन्र बनामएच. एस. मोहम्मद।खान (मृत) एल. आर. और अन्य द्वारा, **(2002) 2** एस. सी. सी. **109;** माधवन नायर बनाम रमनकुट्टी और अन्र, **(2000) 2** एस. सी. सी. **356;** एन. वेंकटरेड्डी और ओआरएस बनामगोपाल और ओआरएस। **(2000) 10** एससीसी **309;** चंद्रगौड़ा और अन्र बनामशेखरगौड़ा **S.Pittanagoudar (**मृत) एल. आर. और अन्य द्वारा। **(2000) 10** एससीसी **617;** क्षितिज चंद्र पुरकैट बनाम संतोष कुमार

सी.

पुरकैट और अन्य, (1997) 5 एस. सी. सी. 438:[1997] 1 पूरक।

डी.

एससीआर **201;** दक्षिण दिल्ली नगर निगम और ए. एन. आर. बनामआज होमसैंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। आदि। **(2019)** एससीसी ऑनलाइन एससी **1052;** अशोक रंगनाथ मगर बनाम श्रीकांत गोविंदराव संगवीकर **(2015) 16** एस. सी. सी. **763:**

[2015] 12 एस. सी. आर. **931-**संदर्भित।संदर्भित विधि निर्णय

ई.

[2003] 4 पूरक।पैरा **14 (2002) 2** एस. सी. सी. **109** को संदर्भित एस. सी. आर. **325**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

(2000) 2 एस. सी. सी. **356**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

एफ.

(2000) 10 एस. सी. सी. **309**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

(2000) 10 एससीसी **617**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

[1997] 1 पूरक।पैरा **14 [2015]** एस**.** सी**.** आर**. 931** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 201**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

जी.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2010 की सिविल अपील सं. 8971।

1998 के आर. एस. ए. सं. 5 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 25.08.2008 के निर्णय और आदेश से।

एच.

1034

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 13 एस सी आर।

ध्रुव मेहता, के. पी. दंडपाणि, विजय हंसारिया, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अमन वचेर, धीरज, आशुतोष दुबे, सुश्री अंशु वचेर, अभिषेक चौहान, सुश्री राजश्री दुबे, अरुण नगर, पी. एन. पुरी, विश्व पाल सिंह, आर. ए. कालिया, जगदीश प्रसाद, प्रतीक राय, आशीष पांडे, सुश्री कुमुद निझावन, सुश्री पीहा वर्मा, अश्विनी कुमार, एम. एम. सिंह, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता**,** जे।

1. स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे से उत्पन्न होने वाले तीन न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई है।

सी.

2. वादी, जिनका अब प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है, ने 31.7.1971 पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली के गाँव बसई दारापुर की राजस्व संपत्ति में स्थित खसरा संख्या 238 मापने वाले 4 बीघा 3 बिस्वास का स्वामित्व और स्वामित्व उनके पास है।इससे पहले, वादी ने 20.7.1959 पर दायर एक मुकदमे में उक्त भूमि को गाँव सभा में निहित करने को चुनौती देते हुए घोषणा के

लिए एक मुकदमा दायर किया था।उक्त वाद का आदेश 7.10.1960 पर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि वादी खसरा संख्या 238 में शामिल भूमि के मालिक और भूमिदार हैं।भारत संघ ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 954 1 की धारा 161-बी के तहत उक्त डिक्री दिनांक 7.10.1960 को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, लेकिन इस तरह के आवेदन को उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, दिल्ली द्वारा 24.5.1968 पर खारिज कर दिया गया था।3. वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने दावा किया कि खसरा संख्या 238 उसे आवंटित भूमि का हिस्सा है।इस प्रकार स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात द रिफ्यूजीज को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, इसके अध्यक्ष-प्रतिवादी संख्या 2, सचिव-प्रतिवादी संख्या 3 और प्रतिवादी संख्या 4, कृपा राम, वर्तमान अपीलकर्ताओं के हित में पूर्ववर्ती के खिलाफ खसरा संख्या 238, ग्राम बसई दारापुर, दिल्ली वाली भूमि पर अपने कब्जे के लिए खतरे की आशंका में दायर किया गया था।न्यायालय के समक्ष लिखित बयानों के दो अलग-अलग सेट दायर किए गए थे, एक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा और दूसरा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा।प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि सुधार अधिनियम की धारा 85 के तहत भूमिदारी भूमि से संबंधित दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित है। यह कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 4 ने खसरा संख्या 1273 वाली सोसायटी में भूमि पर अतिक्रमण करने की धमकी दी थी, जिसके कारण दंड संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही की गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

1 संक्षेप में, 'सुधार अधिनियम' ए

एच.

प्रक्रिया, 1973।इस तरह की कार्यवाही का खसरा संख्या 238 में शामिल भूमि से कोई लेना-देना नहीं है।

4. प्रतिवादी संख्या 4 ने लिखित बयान में जोर देकर कहा कि वादी विवाद में भूमि के कब्जे में नहीं थे और इसलिए निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था।यह आगे कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संबंधित भूमि से कोई संबंध नहीं था और यह भूमि न तो वादी या प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की थी और न ही उनके कब्जे में थी।ऐसी भूमि वास्तव में केवल

प्रतिवादी संख्या 4 के कब्जे में थी। यह भी कहा गया कि विवादित भूमि पर खसरा संख्या 238 नहीं है और यह गाँव बसई दारापुर की राजस्व संपत्ति में स्थित नहीं है।इसके बजाय, विवादित भूमि पर खसरा संख्या 79 है और यह गाँव शकरपुर की राजस्व संपदा में स्थित है।

बी.

सी.

5. पक्षकारों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थेः

“1. क्या दिल्ली तक विस्तारित बॉम्बे सोसायटी अधिनियम की धारा 70 के तहत कोई नोटिस प्रतिवादी संख्या को दिया जाना आवश्यक नहीं था। वर्तमान वाद स्थापित करने से पहले 1 से 3?यदि ऐसा है तो इसका क्या प्रभाव होगा?(आपत्ति जताई)।

डी.

2. क्या इस न्यायालय के पास लिखित बयान में उल्लिखित इस मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है?

ई.

3. क्या वादी खसरा सं. वाले विवाद में भूमि के कब्जे वाले मालिक हैं। 238 जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है?

4. क्या विवादित भूमि खसरा सं. का हिस्सा है। गाँव बसई दारापुर, दिल्ली का 238, जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है?

5. क्या विवादित भूमि खसरा सं. का हिस्सा है। 79 शकरपुर गाँव में स्थित है जैसा कि लिखित बयान में उल्लेख किया गया है?(विरोध किया)

एफ.

6. क्या यह मुकदमा न्यायालय शुल्क और अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से मूल्यवान है?यदि नहीं, तो इसका क्या प्रभाव होगा?

7. जैसा कि लिखित बयान में उल्लेख किया गया है, क्या प्रतिवादी के गलत तरीके से जवाब देने के कारण मुकदमा खराब है?यदि ऐसा है तो इसका क्या प्रभाव होगा?8. क्या वादी वाद में दावा किए गए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री के हकदार हैं?

जी.

9. राहत मिलती है।”

एच.

6. मुद्दा संख्या 2 के संबंध में, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुकदमा निषेधाज्ञा के लिए एक सरल मुकदमा था और न्यायालय के पास यह पता लगाने का अधिकार क्षेत्र है कि विवादित भूमि किस खसरा संख्या में आती है।इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि वाद भूमि गाँव बसई दारापुर में खसरा सं. 238 में आती है और वादी के कब्जे में है, इसलिए वाद का निर्णय लिया गया।7. अंक 4 और 5 को एक साथ निर्णय के लिए लिया गया था।वादी ने वर्ष 1953-54 से संबंधित स्थल योजना (Ex.PW-3/1) प्रस्तुत की थी जब गाँव शकरपुर में समेकन हुआ था।वादी ने गाँव बसई दारापुर की स्थल योजना (Ex.PW-3/3) भी प्रस्तुत की।विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एकीकरण गाँव शकरपुर में हुआ था न कि गाँव बसई दारापुर में।इसलिए, खसरा संख्या 238 के क्षेत्र को 4 बीघा 3 बिस्वास से घटाकर 2 बीघा 6 बिस्वास नहीं किया जा सका।यह निचली अदालत द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

बी.

सी.

"18. ...एक बात निश्चित है कि वर्तमान प्रतिवादियों को खसरा सं. में कोई चिंता नहीं है। 238 गाँव बसई दारापुर।या तो यह वादी का है या यह गाँव सभा में निहित है।वर्तमान प्रतिवादी, जो तीसरे पक्ष हैं, को वर्तमान वादी के पक्ष में पारित उक्त निर्णय और डिक्री को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।इसलिए, मेरा मानना है कि वादी खसरा संख्या के मालिक हैं। 238, गाँव बसई दारापुर।"

डी.

8. पहली अपील केवल प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर की गई थी।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किएः

ई.

"14. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 निचली अदालत के समक्ष यह दिखाने में सफल नहीं हुआ है कि वह गाँव शकरपुर के खसरा के कब्जे में था, इसलिए वह यह नहीं कह सकता कि वह इस दावे के तहत उस पर कब्जा करने का हकदार है कि यह भूमि गाँव शकरपुर के खसरा संख्या 79 का हिस्सा है न कि गाँव बसिदारपुर के खसरा संख्या 238 का।अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 का दावा उसके द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए अपने दस्तावेजों पर गलत साबित होता है।"

एफ.

जी.

9. दूसरी अपील के ज्ञापन में, प्रतिवादी संख्या 4 ने आरोप लगाया कि कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः

"1. क्या अपीलीय न्यायालय दीवानी न्यायालय की अधिकारिता के प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लिए बिना कानूनी रूप से अपील का निपटारा कर सकता है।

एच.

1037

कानूनी प्रतिनिधि बनाम सुरेंद्र देव गौर [हेमंत गुप्ता, जे.] के माध्यम से किरपा राम (डिसेस्ड) ए.

ए.

2. क्या अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत अपीलार्थी के 18 अक्टूबर, 1984 के आवेदन पर कोई आदेश पारित किए बिना अपील का निपटारा कर सकता है?

3. क्या दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1974 की धारा 28 के प्रावधान पर विचार नहीं करने में कानूनी रूप से अपीलीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था, जो सीमा विवादों पर विचार करने के लिए दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोकता है?"

बी.

10. कानून का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा 9.5.1996 पर पारित एक अंतरिम आदेश पर आधारित था जिसमें पक्षों को पहले अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर दलीलों को संबोधित करने का निर्देश दिया गया था।यह भी रिकॉर्ड में आया है कि उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के रिकॉर्ड के पुनर्निर्माण का निर्देश दिया था, क्योंकि यह वर्ष 1996 के दौरान आग की एक घटना में नष्ट हो गया था।

सी.

11. कानून का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता 2 के आदेश एक्सएलआई नियम 27 के तहत दायर अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदन के संबंध में उठाया गया था।प्रतिवादी संख्या 4 ने वर्ष 1944-45 के लिए राजस्व रिकॉर्ड, खसरा गिरदावरी, 1953-54,1954-55,1955-56,1956-57,1966-67 और 1983-84, जमाबंदी और उत्परिवर्तन संख्या 2151 प्रस्तुत करने की मांग की, जो सभी ग्राम बसई दारापुर से संबंधित थे।

डी.

ई.

12. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मेहता ने जोरदार तर्क दिया कि दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित है क्योंकि यह गाँव बसई दारापुर और गाँव शकरपुर के बीच एक सीमा विवाद है और इस तरह के विवाद का निर्णय दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 28 के संदर्भ में आयुक्त द्वारा किया जाना है।

एफ.

13. उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.8.2008 के फैसले के माध्यम से अपीलार्थियों द्वारा दायर दूसरी अपील को खारिज कर दिया।उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से व्यथित, प्रतिवादी संख्या 4 इस न्यायालय के समक्ष अपील में है।14. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया प्राथमिक तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना अपील को खारिज कर दिया है जो संहिता की धारा 100 के संदर्भ में अनिवार्य है।यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि उच्च न्यायालय ने कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना अपील को खारिज कर दिया है, इसलिए मामले को निर्धारित करने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाना चाहिए।

जी.

2 संक्षेप में, 'कोड'

एच.

अपीलार्थियों द्वारा बनाए गए कानून का ऐसा सारवान प्रश्न, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।तर्कों के समर्थन में, अपीलकर्ताओं ने विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया।

15. यह तर्क दिया गया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का निर्णय पहले किया जाएगा, हालांकि अपील का निर्णय उक्त मुद्दे पर विचार किए बिना किया गया था।इस प्रकार कहा जाता है कि इसने अपीलार्थियों के अधिकारों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है।इसी तरह, संहिता के आदेश एक्सएलआई नियम 27 के तहत आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया था जो फिर से उनके अधिकारों के लिए प्रतिकूल था।16. हम पाते हैं कि कानून के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वास्तव में, विचार के लिए उत्पन्न नहीं होते हैं।अधिकार क्षेत्र का मुद्दा तथ्य का नहीं बल्कि कानून का मुद्दा था।इसलिए, सुनवाई के लिए पूरी अपील को लेते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इसका बहुत अच्छी तरह से निर्णय लिया जा सकता है।निचली अदालत ने दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दा संख्या 2 को भी प्रारंभिक मुद्दा नहीं माना था।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम

अपीलीय न्यायालय द्वारा पहली बार में सिविल न्यायालय की अधिकारिता के मुद्दे पर निर्णय नहीं लेने से अपीलार्थियों के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि अधिकारिता की बार की याचिका प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा उठाई गई थी न कि अपीलार्थियों द्वारा।

बी.

सी.

डी.

17. इसके अलावा, संहिता के आदेश एक्सएलआई नियम 27 के तहत आवेदन ग्राम बसई दारापुर के संबंध में राजस्व दस्तावेजों के संबंध में था।मान लीजिए, अपीलकर्ताओं का गाँव बसई दारापुर की भूमि के किसी भी हिस्से पर कोई दावा नहीं है।अपीलार्थी सभ शकरपुर गामक खसरा सं. 79 सँ सम्बन्धित अपन अधिकारक दावा कऽ रहल छथि।अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त साक्ष्य में इस तरह के राजस्व रिकॉर्ड की मांग की है क्योंकि यह उनकी जानकारी में नहीं था और गांव बसई दारापुर के खसरा संख्या 238 के क्षेत्र की शुद्धता के बारे में भी कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था।वादी ने गाँव बसई दारापुर के खसरा नं. 238 पर अपना अधिकार और अधिकार का दावा किया है, जबकि प्रतिवादी नं. 4 ने दावा किया है कि विवादित भूमि पर गाँव शकरपुर, दिल्ली में स्थित खसरा नं. 79 है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंक संख्या 3,4 और 5 खसरा संख्या 238 के स्वामित्व और कब्जे से संबंधित थे और क्या विवादित भूमि बनी थी।

ई.

एफ.

जी.

3 मो. एल. आर. बनाम जगदीश कलीता और अन्य द्वारा मोहम्मद अली (मृत), (2004) 1 एस. सी. सी. 271; हुबली धारवाड़ नगर निगम और अन्न बनामएच. एस. मोहम्मद।खान (मृत) एल. आर. द्वारा &

ओआरएस., (2002) 2 एससीसी 109; माधवन नायर बनाम रमनकुट्टी और अन्न, (2000) 2 एस. सी. सी. 356; एन.

वेंकटरेड्डी और ओआरएस. वी.गोपाल और अन्य (2000) 10 एस. सी. सी. 309; चंद्रगौड़ा और अन्न बनामशेखरगौड़ा एस. पित्तनगौदर (मृत) एल. आर. और अन्य द्वारा, (2000) 10 एस. सी. सी. 617 और क्षितिज चंद्र पुरकैट बनाम संतोष कुमार पुरकैट और अन्य द्वारा, (1997) 5 एस. सी. सी. 438 ए

एच.

1039

कानूनी प्रतिनिधि बनाम सुरेंद्र देव गौर [हेमंत गुप्ता, जे.] के माध्यम से किरपा राम (डिसेस्ड) ए.

गाँव शकरपुर के खसरा नं. 79 का एक हिस्सा।इसलिए, यह पूरा तर्क कि खसरा संख्या 238 के क्षेत्र की शुद्धता के संबंध में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था, असमर्थनीय है।पक्षों ने बसई दारापुर में पड़ने वाले खसरा संख्या 238 या गाँव शकरपुर के खसरा संख्या 79 के क्षेत्र के बारे में मामला समझ लिया है।एक बार जब पक्षकार उक्त विवाद को समझ जाते हैं और निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर लेते हैं, तो अपीलार्थी को पहली अपील में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस प्रकार, अतिरिक्त दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वे अपीलार्थी द्वारा उठाई गई याचिका के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

बी.

18. भूमि राजस्व अधिनियम सीमा विवादों के संबंध में दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से बाधित नहीं करता है।सीमा विवाद दो राजस्व संपदाओं के बीच हैं और इसमें पक्षों की भूमि का सीमांकन शामिल नहीं है।भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 83 सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निम्नलिखित के संबंध में प्रतिबंधित करती हैः(क) पटवारियों के क्षेत्र की व्यवस्था; (ख) धारा 13 या 14 में उल्लिखित कार्यालयों में से किसी के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए दावे या ऐसे कार्यालय से संबंधित किसी परिलब्धि या शुल्क के लिए, या उससे उसके अपवर्जन के कारण हुई किसी क्षति के संबंध में, या किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्यालयों में व्यक्तियों को नामित करने के लिए किए गए दावों के संबंध में; (ग) अधिकारों का अभिलेख बनाना या उसमें निहित किसी भी दस्तावेज को तैयार करना, हस्ताक्षर करना या सत्यापित करना, या वार्षिक रजिस्टर तैयार करना।वर्तमान मामले में विचार के लिए ऐसा कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है।

सी.

डी.

ई.

19. इसके अलावा, मुकदमा संपत्ति के कब्जे के आधार पर निषेधाज्ञा के लिए सरल है।उक्त वाद का निर्णय केवल दीवानी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है क्योंकि भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कब्जे से संबंधित विवादों के संबंध में निषेधाज्ञा देने के लिए कोई तंत्र निर्धारित नहीं है। सिविल न्यायालय के पास उन मामलों को छोड़कर सभी विवादों पर विचार करने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र है जहां सिविल न्यायालय की अधिकार क्षेत्र संहिता की धारा 9 के संदर्भ में या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है।

एफ.

20. चूंकि संहिता की धारा 9 के संदर्भ में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई निहित या स्पष्ट बाधा नहीं है, इसलिए सिविल न्यायालय के पास पक्षों के बीच सभी विवादों का फैसला

करने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र है।दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर दक्षिण में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है।

जी.

दिल्ली नगर निगम और अन्न बनामआज के घर और

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदि।**4** जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

4 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1052

एच.

"11. जिस किसी भी व्यक्ति को यह शिकायत है कि उसके साथ अन्याय किया गया है या उसका अधिकार प्रभावित हुआ है, वह 'यूबी जुस इबी रेमेडियम' के सिद्धांत पर दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है-जहां एक अधिकार है, एक उपाय है।चूंकि अधिकारों या देनदारियों को पैदा करने वाले विभिन्न कानूनों में कोई आंतरिक उपचार प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए सामान्य दीवानी अदालतों को उन कानूनों के आलोक में शिकायतों की जांच करनी थी।एक 'कल्याणकारी राज्य' के आगमन के साथ, यह महसूस किया गया कि करों के भुगतान के संबंध में देनदारियों को पैदा करने वाले अधिनियम, संपत्ति के निहित होने के बाद दायित्व और नागरिकों के एक वर्ग को अधिकार प्रदान करना, अपने आप में पूर्ण संहिता होनी चाहिए। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अधिनियमों के तहत मंच बनाए गए थे जहां पीड़ित व्यक्तियों की ओर से शिकायतों पर विचार किया जा सकता था (शिव कुमार)

बी.

सी.

चड्ढा बनाम दिल्ली नगर निगम, (1993) 3 एससीसी 161)।

12. जहाँ कहीं भी एक अधिकार या दायित्व, जो सामान्य कानून में पहले से मौजूद नहीं है, एक क़ानून द्वारा बनाया गया है और वह क़ानून स्वयं ऐसे अधिकार या दायित्व को लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, दोनों अधिकार/दायित्व और उपचार एक साथ बनाए गए हैं और एक अंतिमता वैधानिक कार्यवाही के परिणाम के लिए है, तो, एक बहिष्करण प्रावधान के अभाव में भी दीवानी अदालत की अधिकारिता निहित रूप से वर्जित है।(राजा राम कुमार भार्गव (मृत) एल. आर. बनाम भारत संघ, (1988) 1 एस. सी. सी. 681 द्वारा।

डी.

13. हम पाते हैं कि कर के भुगतान के लिए एक देयता दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 द्वारा बनाई गई है।इसके अलावा, एक उपयुक्त मंच या प्राधिकरण के समक्ष मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ अपील के माध्यम से एक उपाय उसी क़ानून द्वारा प्रदान किया गया है।"21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को खारिज करते समय कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार नहीं करने में कोई अवैधता नहीं की।

ई.

एफ.

22. श्री मेहता का तर्क है कि दूसरी अपील पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय द्वारा कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने की आवश्यकता है।हम तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।संहिता की धारा 100 निम्नानुसार हैः

जी.

"100. दूसरी अपील।—(1) इस संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

एच.

1041

कानूनी प्रतिनिधि बनाम सुरेंद्र देव गौर [हेमंत गुप्ता, जे.] के माध्यम से किरपा राम (डिसेस्ड) ए.

न्यायालय, यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

(2) एक अपीलीय डिक्री से इस धारा के तहत एक अपील हो सकती है

एक पक्ष से पारित किया।

(3) इस धारा के तहत एक अपील में, अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का सटीक उल्लेख किया जाएगा।

बी.

(4) जहाँ उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।(5) इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई की जाएगी और प्रत्यर्थी को अपील की सुनवाई में यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं हैः

सी.

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात, न्यायालय द्वारा प्रणीत नहीं किए गए विधि के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की न्यायालय की शक्ति को, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, छीनने या कम करने वाली नहीं मानी जाएगी, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है।"

डी.

23. संहिता की धारा 100 की उप-धारा (1) में विचार किया गया है कि उच्च न्यायालय में एक अपील होगी यदि यह संतुष्ट है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को अपील के ज्ञापन में सटीक रूप से बताया जाना आवश्यक है।यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि कानून का ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो उस प्रश्न को तैयार करना आवश्यक है।इस तरह से तैयार किए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई होनी चाहिए।तथापि, न्यायालय के पास संहिता की धारा 100 के परंतुक में निर्धारित शर्तों की संतुष्टि पर कानून के किसी भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील सुनने की शक्ति है।इसलिए, यदि अपीलार्थियों द्वारा बनाए गए कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न मामले में उत्पन्न होता पाया जाता है, तो ही उच्च न्यायालय को विचार के लिए इसे तैयार करने की आवश्यकता होती है।यदि ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है, तो उच्च न्यायालय के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना आवश्यक नहीं है।कानून के सारगर्भित प्रश्न का निर्माण या परंतुक के संदर्भ में उसका पुनर्निर्धारण केवल तभी उत्पन्न होता है जब कानून के कुछ प्रश्न होते हैं और कानून के किसी सारगर्भित प्रश्न के अभाव में नहीं।उच्च न्यायालय कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने के लिए बाध्य नहीं है, यदि उसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

24. इसके अलावा, हम पाते हैं कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट किसी भी निर्णय में उच्च न्यायालय को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने का आदेश नहीं दिया गया है।एम. डी. को छोड़कर

अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट सभी निर्णय। मोहम्मद अली वे निर्णय हैं जिनमें उच्च न्यायालय ने कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया है।में एम. मोहम्मद अली, इस न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना अपील को खारिज करने में गलती की।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

बी.

"33. प्रतिकूल अधिकार की तुलना में सह-भागीदार को हटाने से संबंधित कानून के प्रस्ताव को उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था।इस मामले के कुछ अन्य पहलू भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और संभवतः उच्च न्यायालय द्वारा इसकी गहन जांच की आवश्यकता होगी।

सी.

34. उच्च न्यायालय को प्रश्न का निर्धारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के संदर्भ में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना चाहिए था।कानून के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्माण के अभाव में, संभवतः उच्च न्यायालय ने त्रुटियां कीं जैसा कि पहले बताया गया था।"

डी.

25. अशोक रंगनाथ मगर बनाम श्रीकांत गोविंदराव सांगवीकर 5 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में, इस अदालत ने कहा कि दूसरी अपील को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना भी खारिज किया जा सकता है।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ई.

"18. धारा 100 सी. पी. सी. में निहित प्रावधान और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए अनुपात के आलोक में, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर आते हैंः

एफ.

(i) जिस दिन दूसरी अपील स्वीकार करने पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाती है, यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है, तो वह कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना दूसरी अपील को खारिज कर देगा।

जी.

((ii) ऐसे मामलों में जहां उच्च न्यायालय अपील की सुनवाई के बाद संतुष्ट है कि कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा और फिर अपील पर सुनवाई की जाएगी।

5 (2015) 16 एससीसी 763 ए

एच.

1043

कानूनी प्रतिनिधि बनाम सुरेंद्र देव गौर [हेमंत गुप्ता, जे.] के माध्यम से किरपा राम (डिसेस्ड)

प्रत्यर्थी को नोटिस और सुनवाई का अवसर देने के बाद कानून के वे महत्वपूर्ण प्रश्न;

(iii) किसी भी परिस्थिति में उच्च न्यायालय कानून के सारवान प्रश्न को तैयार किए बिना और धारा 100 सी. पी. सी. की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को उलट नहीं सकता है।

बी.

26. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम दूसरी अपील को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।इस प्रकार वर्तमान अपील खारिज कर दी जाती है।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

सी.

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.